नरेश कुमार बनाम निर्मल कुमार

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या ... 17/517

04.07.2018	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की अवमानना प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 252 की 0.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 369 की 0.53 हैक्टर भूमि शामलाती खाते में प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता रामनारायण, हजारी लाल पिसरान काल्या के नाम दर्ज चली आ रही है दोनों के पिता का देहावसान हो चुका है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करता रहता है । इस वर्ष भी प्रार्थी के 1/2 हिस्से की फसल गेहूँ अप्रार्थी कटा कर ले गया जिसकी रिपोर्ट थाना सुल्तानपुर में दिनांक 31.03.2017 को दर्ज करवायी है तथा पुनः प्रार्थी ने अपने 1/2 हिस्से में सोयाबीन बाई जिसे अप्रार्थी ने आज 15–20 दिन पूर्व जबरन ताकत के बल पर धनराज गोचर के ट्रेक्टर से हांक दी । इस प्रकार अप्रार्थी माननीय न्यायायल के आदेश की कोई परवाह नहीं रक रहा है । अप्रार्थी का उक्त कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना व अवहेलना करने की तारीफ में आता है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को दण्डित किया जाना आवश्यक है । अतः अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2017 की पूर्ण जानकारी होने आदेश से पाबन्द होते हुए भी जानबूझकर स्पष्ट रूप से अवहेलना व अवमानना करने के कारण अप्रार्थी को दण्डित किया जावे । हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अवमानना की गई है इसलिए उसे दण्डित किया जावे । प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साबित हो । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्तनीय होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (पंकज कुमार ओझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा